महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

वेब–साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई–मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-2780995, 0522-2780384

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :प्री–प्राइमरी / 1326 / 2023–24 दिनांक: 28 / अप्रैल / 2023

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–1 में प्रवेश की आयु के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक **शासनादेश संख्या 68–5099 / 85 / 2023–5() I / 306668 / 2023 दिनांक 25.04.2023 (संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कक्षा–1 में प्रवेश के आयु का निर्धारण किया गया है। उक्त संदर्भ में शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उक्तवत।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः–प्री–प्राइमरी शिक्षा / 1326 / 2023–24 लखनऊ, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 25/04/2023

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा-1 में प्रवेश की आयु के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 22-7/2021- EE/IS.13 दिनांक 09 फरवरी 2023 के क्रम में अपने पत्रांक-प्री-प्राइमरी/ 344/2023-24, दिनांक 10 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में कक्षा-1 में प्रवेश हेतु आयु का पुनर्निर्धारण सम्बन्धित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- भारत सरकार के पत्र दिनांक 9 फरवरी 2023 में यह उल्लेख किया गया है कि "***The National Education Policy (NEP) 2020 recommends strengthening learning at the foundational stage as a national priority. The policy envisages a pedagogical structure of 5+3+3+4 which mean 5 years of foundational classes (3-8 years), 3 years of preparatory classes (8-11 years), 3 year of middle classes (11-14 years) and 4 years (14-18 years) of secondary classes.***

In view of the provisions of NEP 2020 and RTE Act 2009, all the states and UTs were requested to align their age of admission with the policy and provide admission to grade I at the age of 6+ years. This will bring uniformity in the age of admission in Grade I across nation."

3- वर्तमान में प्रदेश में संचालित 1.88 लाख आंगनबाडी केन्द्रों में आयुवर्ग 5-6 वर्ष के बच्चों को बालवाटिका के लिए निर्धारित अधिगम लक्ष्यों की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा, बेसिक शिक्षा विभाग के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय से कार्य किया जा रहा है।

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2070/68-5-2019 दिनांक 17.12.2019 को संशोधित करते हुए कक्षा-1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की जाती है। अग्रेतर ऐसे बालक/बालिका जो उस शैक्षिक सत्र में 01 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रहे हैं उन्हें निर्धारित आयु में शिथिलता प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश

की सुविधा अनुमन्य किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्तमान में जिन छात्रों का कक्षा 1 में प्रवेश हुआ है तथा जिनकी आयु 5 से 6 वर्षों के बीच है, उन्हें कक्षा-1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जायेगी। आदेश निर्गत होने के पश्चात् होने वाले नामांकन में यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कक्षा-1 में उन्हीं बच्चों का नामांकन हो जो उस शिक्षा सत्र के 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हैं।

वर्तमान में प्री-स्कूल (Nursery, LKG, UKG) में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जो कक्षा-1 में दाखिले के समय 6 वर्ष से कम आयु के होंगे, उन्हें कक्षा 1 में प्रवेश दिया जायेगा तथा उनके आगे की पढाई की निरंतरता में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। आगामी वर्षों में प्री-स्कूल (Nunery, LKG, UKG) कक्षायें संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से कम की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु अर्ह न हो।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by दीपक कुमार
Date: 25-04-2023 11:26:17
Reason: Approved

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति,उ0प्र0।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।
7. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज।
8. समस्त प्राचार्य, डायट, उ0प्र0।
9. समस्त, मण्डलीय सहायक निर्देशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
ऋषिकेश दुबे
विशेष सचिव